न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 68 / 2017

हेमन्त शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा निवासी थाखा जी की गली ब्रम्ह अखाडे के पास टोडारायसिंह जिला टोंक

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 08.11.2017

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित उचित मूल्य दुकानदार फतेह सिंह के केरोसीन वितरण रजिस्टर की 1 जनवरी 2016 से 31 अक्टूबर 2016 तक की प्रमाणित सूचना प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारनार्थ लोकहित मे देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1695 दिनांक 25.10.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 937 दिनांक 31.10.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 858 दिनांक 10.10.2017 से 4 रूपये ई—चालान से शुल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक से सूचना प्राप्त करे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक